267

संख्या– /XVIII(II)/2014–03(07)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2

दिनांक 17 फरवरी, 2014

विषयः–कुम्हारी कला (पॉटरी) को प्रोत्साहन एवं इस व्यवसाय के उन्नयन के लिये इसमें लगे व्यवसायिकों को मिट्टी प्राप्त करने हेतु भूमि के पट्टों के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश सं0–4317/1–2–93–रा–2 दिनांक–23 दिसम्बर, 1993 तथा शासनादेश सं0–सी0एम0 55(1)/1–2–97–रा–2 दिनांक–28 मई, 1997 के द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुम्हारी कला या व्यवसाय में लगे कुम्हार/प्रजापति समुदाय के परिवारों की आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के विकास के लिए ताल, पोखर या अन्य स्थान जहां कुम्हारी कार्य (पॉटरी) के लिए उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, का आवंटन कुम्हारी कला/व्यवसाय में लगे व्यक्तियों/परिवारों को करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है।

इन शासनादेशों क्रम में इस व्यवसाय/कला के उन्नयन के लिए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस प्रकार के पट्टा आवेदकों को उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय। एक अभियान चलाकर उपयुक्त स्थलों का चयन कर पट्टा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

इस कार्यवाही की प्रगति का विवरण समय–समय पर राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जाय।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0–515 /संमदिनांकित/2014

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।